क्र. सं. 01 / 2022 पीठासीन अधिकारी 212 R.T. Act

28.9.22 उभय पक्ष उपस्थित अधिवक्ता सं. 1, 2, 4, 6, 7 की पुनः तथ्यों दिनांक 10.10.22 को पेश हो।

10/10 उभय पक्ष उपस्थित पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/10/22 को पेश हो।

12/10 उभय पक्ष उपस्थित पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19.10.22 को पेश हो।

19.10.22 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित मूल वाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सि.प्र.सं. 1908 आदेश 7 नियम 11 (d) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर खारिज हो चुका है इसलिए प्रार्थना-पत्र 212 R.T. Act में चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज करने का प्रार्थना-पत्र है। पत्रावली निर्णित किया जाता है। पत्रावली [illegible] के बाद [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.12.14 17:32:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner